

संपादकीय

डेल्टा वैरिएंट ने बढ़ाई फिक्र

कोरोना वायरस का जो नया रूप दुनिया भर में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को चिंतित किए हुए है, वह है डेल्टा वैरिएंट। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) ने इसे वैरिएंट ऑफ कंसर्न यानी वायरस का चिंताजनक रूप कहा है। वैसे तो यह कई देशों में मौजूदी दर्ज करा चुका है, लेकिन ब्रिटेन तो जैसे इसकी गिरफ्त में आ चुका है। पब्लिक हेल्थ इंजिनियरिंग (पीएचई) के आंकड़ों के मुताबिक, वहाँ इकट्ठा किए जा रहे सैंपल्स में ६१ फिसदी मामले डेल्टा वैरिएंट के ही हैं। इसका मतलब यह है कि वहाँ पिछले साल गदर मचा देने वाले अल्फा वैरिएंट से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में डेल्टा वैरिएंट आ गया है। ध्यान रहे किसी वैरिएंट को चिंताजनक श्रेणी में तब डाला जाता है, जब उसकी बढ़ी हुई संक्रामक क्षमता और मरीज को अस्पताल ले जाने की बढ़ी हुई जरूरत के सबूत उपलब्ध हों। इन दोनों ही मोर्चों पर इसकी मजबूती इसे न केवल इंजिनियरिंग जैसे देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के स्तर पर खतरनाक बनाती है। गौर करने की बात यह भी है कि मामला डेल्टा वैरिएंट तक ही सीमित नहीं रहा। इसका और परिष्कृत रूप भी आ गया है जिसे डेल्टा प्लस कहा जा रहा है।

भारत में अभी इसके मरीजों की संख्या ज्यादा नहीं है, बावजूद इसके महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने घेताया है कि यही डेल्टा प्लस वैरिएंट कोरोना महामारी की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। स्वाभाविक रूप से सरकार ने स्वास्थ्य ढांचे को इसके लिए तैयार करने की कावायद शुरू कर दी है, लेकिन एक तो ऐसी सारी कावायद की आधिरी परीक्षा लहर आने के बाद ही होती है। तभी यह पता लगता है कि सरकार के निर्देश किस हद तक जमीन पर उतरे और दरअसल उसका कितना फायदा प्रभावित लोगों तक पहुंचाया जा सका। मगर उससे ज्यादा जरूरी है-

खुद को बार-बार याद दिलाना कि वायरस के खिलाफ यह जंग लड़ना और जीतना अकेले सरकार के बूते की बात है ही नहीं। यह लड़ाई तभी जीती जा सकती है, जब एक-एक नागरिक पूरी जागरूकता, सावधानी और शिद्दत

से इसमें भागीदारी करे। विशेषज्ञों के मुताबिक अब तक के अॉब्जर्वेशन से यह स्पष्ट है कि वैक्सीन इस वैरिएंट पर भी कागर हैं। अपने यहाँ वैक्सीनशन अभियान में आई थोड़ी सुस्ती इस संदर्भ में चिंता की एक अतिरिक्त बात हो सकती है, लेकिन ताजा प्रयासों की बदौलत उमीद है कि यह अभियान जल्दी ही जोर पकड़ेगा। ऐसे में आम लोगों का सहयोग दो स्तरों पर निर्णयिक साबित हो सकता है। एक तो यह कि टीका लगवाने को लेकर उदासीनता हर हाल में जल्द से जल्द खत्म की जाए और दूसरा, अनलॉक के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में वैसी लापरवाही बिल्कुल न हो, जैसी पहली लहर के उत्तर के बाद दिखाई गई थी।



ही हुआ था। इसलिए उनका लालन-पालन जिजाबाई ने किया था। छत्रपति शाहू महाराज की उम्र जब २० वर्ष थी, उनके पिता आबासाहेब घाटगे की मृत्यु (२० मार्च १८८६) हुई थी।

छत्रपति शिवाजी महाराज (प्रथम) के दूसरे पुत्र के वंशज शिवाजी (चतुर्थ) कोल्हापुर में राज्य करते थे। ब्रिटिश षड्यंत्र और अपने ब्रिटिश दीवान की गददरी की वजह से जब शिवाजी (चतुर्थ) का कत्ल हुआ, तो उसकी विधवा अनंदीबाई ने अपने एक जागीरदार अबासाहेब घाटगे के पुत्र यशवंतराव को १७ मार्च सन् १८८४ में गोद लिया था। अब उनका नाम शाहू छत्रपति महाराज हो गया था।

छत्रपति शाहू महाराज की शिक्षा राजकोट के राजकुमार विद्यालय में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई रजवाड़े में ही एक अंग्रेज शिक्षक स्ट्यूअर्ट मिटफर्ड फ्रेजर के जिम्मे सौंपी गई थी। अंग्रेजी शिक्षक और अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव छत्रपति शाहू महाराज के दिलों-दिमाग पर गहराई से पड़ा। था। वैज्ञानिक सोच को न सिर्फ वे मानते थे बल्कि इसे बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास करते थे। पुरानी प्रथा, परम्परा अथवा काल्पनिक बातों को वे महत्व नहीं देते थे।

दलितों की दशा में बदलाव लाने के लिए उन्होंने दो ऐसी विशेष प्रथाओं का अत किया जो युगांतरकारी साक्षित दुई। पहला, १९१७ में उन्होंने उस बलूतदारी-प्रथा का अंत किया, जिसके तहत एक अछूत को थोड़ी सी जमीन देकर बदले में उससे और उसके परिवार वालों से पूरे गंव के लिए मुफ्त सेवाएं ली जाती थीं। इसी तरह १९१८ में उन्होंने कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी प्रथा वतनदारी का अंत किया तथा भूमि सुधार लागू कर महारां को भू-स्वामी बनने का हक दिलाया। इस आदेश से महारां की आर्थिक गुलामी काफी हद तक दूर हो गई। दलित हिंदू उसी कोल्हापुर ने रखे थे। उन्होंने दलितों की विशेष प्रथाओं का अत किया जो युगांतरकारी साक्षित दुई। पहला, १९१७ में उन्होंने उस बलूतदारी-प्रथा का अंत किया, जिसके तहत एक अछूत को थोड़ी सी जमीन देकर बदले में उससे और उसके परिवार वालों से पूरे गंव के लिए मुफ्त सेवाएं ली जाती थीं। इसी तरह १९१८ में उन्होंने कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी प्रथा वतनदारी का अंत किया तथा भूमि सुधार लागू कर महारां को भू-स्वामी बनने का हक दिलाया। इस आदेश से महारां की आर्थिक गुलामी काफी हद तक दूर हो गई। दलित हिंदू उसी कोल्हापुर ने रखे थे। उन्होंने दलितों की विशेष प्रथाओं का अत किया जो युगांतरकारी साक्षित दुई। पहला, १९१७ में उन्होंने कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी प्रथा वतनदारी का अंत किया, जिसके तहत एक अछूत को थोड़ी सी जमीन देकर बदले में उससे और उसके परिवार वालों से पूरे गंव के लिए मुफ्त सेवाएं ली जाती थीं। इसी तरह १९१८ में उन्होंने कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी प्रथा वतनदारी का अंत किया तथा भूमि सुधार लागू कर महारां को भू-स्वामी बनने का हक दिलाया। इस आदेश से महारां की आर्थिक गुलामी काफी हद तक दूर हो गई। दलित हिंदू उसी कोल्हापुर ने रखे थे। उन्होंने दलितों की विशेष प्रथाओं का अत किया जो युगांतरकारी साक्षित दुई। पहला, १९१७ में उन्होंने कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी प्रथा वतनदारी का अंत किया, जिसके तहत एक अछूत को थोड़ी सी जमीन देकर बदले में उससे और उसके परिवार वालों से पूरे गंव के लिए मुफ्त सेवाएं ली जाती थीं। इसी तरह १९१८ में उन्होंने कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी प्रथा वतनदारी का अंत किया तथा भूमि सुधार लागू कर महारां को भू-स्वामी बनने का हक दिलाया। इस आदेश से महारां की आर्थिक गुलामी काफी हद तक दूर हो गई। दलित हिंदू उसी कोल्हापुर ने रखे थे। उन्होंने दलितों की विशेष प्रथाओं का अत किया जो युगांतरकारी साक्षित दुई। पहला, १९१७ में उन्होंने कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी प्रथा वतनदारी का अंत किया, जिसके तहत एक अछूत को थोड़ी सी जमीन देकर बदले में उससे और उसके परिवार वालों से पूरे गंव के लिए मुफ्त सेवाएं ली जाती थीं। इसी तरह १९१८ में उन्होंने कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी प्रथा वतनदारी का अंत किया तथा भूमि सुधार लागू कर महारां को भू-स्वामी बनने का हक दिलाया। इस आदेश से महारां की आर्थिक गुलामी काफी हद तक दूर हो गई। दलित हिंदू उसी कोल्हापुर ने रखे थे। उन्होंने दलितों की विशेष प्रथाओं का अत किया जो युगांतरकारी साक्षित दुई। पहला, १९१७ में उन्होंने कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी प्रथा वतनदारी का अंत किया, जिसके तहत एक अछूत को थोड़ी सी जमीन देकर बदले में उससे और उसके परिवार वालों से पूरे गंव के लिए मुफ्त सेवाएं ली जाती थीं। इसी तरह १९१८ में उन्होंने कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी प्रथा वतनदारी का अंत किया तथा भूमि सुधार लागू कर महारां को भू-स्वामी बनने का हक दिलाया। इस आदेश से महारां की आर्थिक गुलामी काफी हद तक दूर हो गई। दलित हिंदू उसी कोल्हापुर ने रखे थे। उन्होंने दलितों की विशेष प्रथाओं का अत किया जो युगांतरकारी साक्षित दुई। पहला, १९१७ में उन्होंने कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी प्रथा वतनदारी का अंत किया, जिसके तहत एक अछूत को थोड़ी सी जमीन देकर बदले में उससे और उसके परिवार वालों से पूरे गंव के लिए मुफ्त सेवाएं ली जाती थीं। इसी तरह १९१८ में उन्होंने कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी प्रथा वतनदारी का अंत किया तथा भूमि सुधार लागू कर महारां को भू-स्वामी बनने का हक दिलाया। इस आदेश से महारां की आर्थिक गुलामी काफी हद तक दूर हो गई। दलित हिंदू उसी कोल्हापुर ने रखे थे। उन्होंने दलितों की विशेष प्रथाओं का अत किया जो युगांतरकारी साक्षित दुई। पहला, १९१७ में उन्होंने कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी प्रथा वतनदारी का अंत किया, जिसके तहत एक अछूत को थोड़ी सी जमीन देकर बदले में उससे और उसके परिवार वालों से पूरे गंव के लिए मुफ्त सेवाएं ली जाती थीं। इसी तरह १९१८ में उन्होंने कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी प्रथा वतनदारी का अंत किया तथा भूमि सुधार लागू कर महारां को भू-स्वामी बनने का हक दिलाया। इस आदेश से महारां की आर्थिक गुलामी काफी हद तक दूर हो गई। दलित हिंदू उसी कोल्हापुर ने रखे थे। उन्होंने दलितों की विशेष प्रथाओं का अत किया जो युगांतरकारी साक्षित दुई। पहला, १९१७ में उन्होंने कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी प्रथा वतनदारी का अंत किया, जिसके तहत एक अछूत को थोड़ी सी जमीन देकर बदले में उससे और उसके परिवार वालों से पूरे गंव के लिए मुफ्त सेवाएं ली जाती थीं। इसी तरह १९१८ में उन्होंने कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी प्रथा वतनदारी का अंत किया तथा भूमि सुधार ल

ओबीसी के राजकीय आरक्षण बचाने में राज्य की सरकार असफल

ओबीसी समाज के हितों की रक्षा के लिए और तेज आंदोलन किया जाएगा - सांसद सुनील मेडे



भाजपा ने विरोध कर किया चक्काजाम आंदोलन

गोंदिया - ओबीसी समाज के राजकीय आरक्षण को बचाने में राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार असफल साबित हुई है। जिसका विरोध वह निषेध कर आरक्षण को पूर्ववत लाए करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी गोंदिया शहर व ग्रामीण भंडल द्वारा २६ जून को जयस्तंभ चौक पर चक्का जाम आंदोलन सांसद सुनील मेडे के नेतृत्व किया गया।

इस अवसर पर सांसद सुनील मेडे संबोधन करते हुए कहा कि जब तक ओबीसी समाज के राजकीय आरक्षण का मुद्दा हल नहीं होने देंगे किंतु राज्य चुनाव आयोग द्वारा स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनावी कार्यक्रम घोषित किए हैं। इस पर सरकार के मंत्री चुप बैठे हैं। उन्हें त्यागपत्र देकर सरकार से बाहर आने का आहवान भी किया है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय २ महीने पूर्व आ चुका है। इस पर भी राज्य सरकार द्वारा ओबीसी समाज को राजकीय आरक्षण मिलने के लिए किसी भी प्रकार की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई है। उसकी निष्प्रियता के चलते चुनाव आयोग द्वारा चुनावी कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसका विरोध कर आज भाजपा रास्ते पर उत्तरकर आंदोलन कर रही है तथा भविष्य में और तेज आंदोलन करने की चेतावनी दी।

उपरोक्त आंदोलन में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक रमेश कुथे, नेतराम कटरे, नगराध्यक्ष किया था। किंतु उसके पश्चात राज्य की आघाड़ी

ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द होने में मोदी सरकार जिम्मेदार- डॉ. किरसान

गोंदिया - केंद्र की मोदी सरकार की गतत नीति के चलते स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव में नागरिकों के पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज का आरक्षण उच्च न्यायालय में रद्द होने के चलते २६ जून को गोंदिया जिला कांग्रेस समिति, तहसील समिति द्वारा इसका निषेध कर धरना आंदोलन कर विरोध व्यक्त किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष डॉ. नामदेवराव किरसान ने कहा कि ओबीसी का राजकीय आरक्षण रद्द होने में केंद्र की मोदी सरकार

कांग्रेस ने निषेध आंदोलन व धरना देकर किया विरोध

गोपीनाथ मुंडे ने भी भाजपा के विरोध के बावजूद इस प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया था। जिसके चलते २ अक्टूबर २०११ को सामाजिक आर्थिक जातीनिहाय जनगणना की गई थी। उपरोक्त डाटा का संकलन करने के लिए ३ वर्ष किंतु बाद में भाजपा की मोदी सरकार द्वारा उपरोक्त डाटा को



जिम्मेदार हैं।

गोरतलब है कि स्थानीय स्वराज्य चुनाव में नागरिकों के पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज को आरक्षण प्राप्त था। जिसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार रद्द किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी समाज की जनसंख्या का इंपीरियल डाटा नहीं दिए जाने के चलते उपरोक्त निर्णय हुआ है। वर्ष २०११ में ओबीसी समाज की जनगणना की मांग सांसद समीर भुजबल द्वारा कर लोकसभा में प्रस्ताव रखा था। उपरोक्त प्रस्ताव पर १०० सांसदों ने अपना समर्थन दिया था। साथ ही भाजपा सांसद

ओबीसी समाज को सही अर्थों में आरक्षण

विवाद मुक्त समिति ने कराया प्रेमी युगल का अंतरजातीय विवाह



संवाददाता - देवरी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम विचारगढ़ से २ किलोमीटर दूरी पर स्थित पांडरा ग्राम पंचायत में विवाद मुक्त समिति ने प्रेमी युगल का अंतरजातीय विवाह सर्वसम्मति से करवाया। जिसमें युवती का नाम सुलभा तुलसीदास वालदे तथा ग्राम कोडी निवासी युवक प्रकाश रोशन मिरि दोनों में अनेक दिनों से प्रेम संबंध चल रहा था। लेकिन दोनों की जाति

अलग-अलग होने के चलते दोनों पक्षों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। इस प्रकरण में विवाद मुक्त समिति द्वारा उनके माता-पिता तथा रिश्तेदारों को समझाकर दोनों का ग्राम पंचायत पांडरा में विवाह संपन्न करवाया। इस अवसर पर विवाद मुक्त समिति के अध्यक्ष भोजसिंह कच्छप, सचिव अशोक सहारे, पुलिस पाटील पांडरा तथा सदस्य मोतीलाल पहिदे, इंदर अरकरा, महादेव

श्यामकुंवर, भिवाजी भोयर, तानबाजी नाटके, ललित भैसारे, साईन सच्यद, रिकेश कटकवार तथा ग्रामवासी उपरिथित थे। विवाद मुक्त समिति द्वारा नवदंपति को जीवन उपयोगी भेटवस्तु तथा ग्रामवासियों द्वारा उन्हें २०४० रुपये भेटस्वरूप दिये।

आवश्यकता है

गौशाला में गो-सेवा के कार्य करने हेतु अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है। इसके लिए व्यवस्था के साथ ही योग्यतानुसार वेतन दिया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें...

बुलंद गोंदिया कार्यालय
जगन्नाथ मंदिर के पास,
गौशाला वार्ड, गोंदिया
मो. : 9405244668, 7670079009
समय : दोपहर 12 से संध्या 5 बजे तक

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल द्वारा बुलंद गोंदिया साप्ताहिक समाचार पत्र भवानी प्रिटिंग प्रेस, गुरुनानक वार्ड, गोंदिया, ता.जि.गोंदिया से मुद्रित व बुलंद गोंदिया भवन, जगन्नाथ मंदिर के पास गौशाला वार्ड, गोंदिया ४४१६०९, ता.जि.गोंदिया से प्रकाशित। संपादक : संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल, मो.क्र. ९४०५२४४६६८। (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) प्रकाशित किये गये समाचार व लेख से संपादक सहमत हैं ऐसा नहीं है। न्यायालय क्षेत्र गोंदिया।

खुले में धान नहीं सड़ने देंगे समय पर होंगी मिलिंग

राईस मिलर्स एसोसिएशन गोंदिया



गोंदिया जिले में खरीफ मौसम २०२०-२१ में धान की क्वानिटी खराब होने के चलते कस्टम मिलिंग में राईस मिलर को भारी नुकसान हो रहा था। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति राशि भी मंजूर की गई। किंतु यह राशि क्षतिपूर्ति के लिए अपर्याप्त है। इस कारण राईस मिलर कस्टम मिलिंग नहीं कर रहे थे। जिले में लगभग ११ लाख किंवंटल धान खुले मैदानों में केवल त्रिपाल के भरासे असुरक्षित रखा गया था तथा मानसून के आगमन का समय हो चुका था। ऐसे में लोकप्रिय नेता सांसद प्रफुल पटेल, विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे, अन्न व आपूर्ति मंत्रालय के सचिव विलास पाटील व जिलाधिकारी राजेश खवले द्वारा राईस मिलर्स को प्रेरित किया कि खुले में रखा धान वर्षा में खराब होने से बचाया जाए। जिस पर राईस मिलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने खराब होने नहीं दिया जाए। इस प्रकार की जानकारी गोंदिया जिला राईस मिलर्स को जानकारी देता है कि उन्होंने किसानों के खुलनपसीने से उपज की गई लक्ष्मी को सड़ने नहीं दिया तथा प्रशासन को राईस मिलर्स एसोसिएशन ने आशासन दिया है कि जिले का धान किसी भी हालत में खराब होने नहीं दिया जाए। इस प्रकार की जानकारी गोंदिया जिला राईस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई है।

भाजपा महिला मोर्चा शहर अध्यक्ष निर्मला मिश्रा ने कार्यकारिणी का किया गठन



गोंदिया - भाजपा महिला मोर्चा गोंदिया शहर अध्यक्ष व पार्षद निर्मला मिश्रा ने महिला मोर्चा शहर की कार्यकारिणी का गठन पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल, सुनील केलनका, संजय कुलकर्णी, टाकरे, भावना कदम, छाया दसरे, मनोज पटनायक, माधुरी हरिनंद्र चंद्रिकापुरे, प्रमिला रिंदरामे, अफसाना पठान, रिता बांगड़े आदि वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में घोषित की।

शहर अध्यक्ष निर्मला मिश्रा, महामंत्री रिता पी. डिब्बे, नीलिमा मानिकपुरी, प्रमिला सिंदरामें, नेहा राजू शर्मा, उपाध्यक्ष विधायक अग्रवाल, सुनील केलनका, संजय कुलकर्णी, टाकरे, भावना कदम, छाया दसरे, मनोज पटनायक, माधुरी हरिनंद्र चंद्रिकापुरे, संगीता रोकड़े, लता रामकुमार लालवानी, सुनील गुप्ता भोला भवन से डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिमा तक पैदल मार्च कर बाबासाहेब की प्रतिमा को माल्यार्पण कर ओबीसी समाज का आरक्षण रद्द होने के लिए केंद्र की मोदी सरकार व तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार व केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार हैं, ऐसी जानकारी देकर केंद्र सरकार का निषेध कर संविधान की रक्षा के लिए शपथ ली गई तथा स्थानीय जयस्तंभ चौक पर धरना आंदोलन कर विरोध व्यक्त किया। उपरोक्त आंदोलन जिला अध्यक्ष डॉ. एन.डी. किरसान, प्रदेश सचिव अमर वराडे, जहीरभाई अहमद, सूर्यप्रकाश भगत, आलोक मोहनी, हरीश तुलसकर, अशोक (गप्पू) गुप्ता, जितेंद्र कटरे, जितेंद्र राने, नीलम हलमारे, योगेश अग्रवाल, बाबा मिश्रा, राजकुमार पटेल, बावनकर बडेलाले, रामेश्वर लिल्हारे, अनीता मुनेश्वर, रेखा बानेवार, आशीष नागपुरे, डॉ. लक्ष्मीकांत वाघामर, अशोक राहंगड़ाले, सचिन मेश्राम, राजेंद्र तुरुकर सहित बड़ी संघर्ष में कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपरिथित थ